इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन सोसायटी

पंजीकरण संख्या S/74662 पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत
पोस्ट– श्री मायापुर धाम, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल–741313.

https://gbc.iskcon.org/

वार्षिक सामान्य बैठक– श्री मायापुर धाम – फरवरी 11–22, 2020 के मिनट

अनुभाग २०० : गवर्निंग बॉडी कमिशन

२०३ .०२ : जी बी सी सदस्य

[शीर्षक] - जी बी सी इमेरिटस - २०२०

वक्तव्य

जबकि निम्नलिखित इस्कॉन कानून ३.५.५.३ के शब्दों मे स्पष्टता,रचना तथा व्याकरण मे सुधार की आवश्यकता है :

३.५.५.३ इमेरिटस जी बी सी

३.५.५.३.१ परिभाषा

जी बी सी बॉडी जिन सेवानिवृत्त सदस्यों ने विशिष्ट सेवा प्रदान की है , उन्हें "इमेरिटस जी बी सी"पदवी प्रदान कर सकती है।

३.५.५.३.२ भूमिका

एक इमेरिटस जी बी सी की भूमिका निम्नलिखित है :

- अ) एक ज्ञान और अनुभव के भंडार के रूप मे अपने आप को सभी जी बी सी सदस्यों को उपलब्ध कराएं
- आ) वैदिक समाज मे जिस प्रकार महान साधुओं का आदर था उसी प्रकार इनका आदर इस्कॉन संस्था मे हो
- इ) विशेष अनुरोध पर , एक गैर प्रबंधकीय की भूमिका निभाते हुए , जी बी सी सदस्य अथवा सदस्यों को, तथा जी बी सी डेप्यूटी को, जिन्होंने उनके कर्तव्यों को संभाला है, सलाह प्रदान करें
- ई) अगर वे चाहें तो एक गैर मतदाता सदस्य के रूप मे जीबीसी बैठकों मे भाग ले सकते हैं

३) एक जी बी सी प्रतिभागी के रूप मे उन्हें, एक साधारण जी बी सी सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे

निर्णय :

इस्कॉन कानून ३.५.५.३ के शब्द "इमेरिटस जी बी सी" को संशोधित किया जाता है , तथा पुनः निम्नलिखित रूप मे लिखा जाता है, जी बी सी इमेरिटस अधिकृत वेब पेज को भी पुनः शब्दित किया जाएगा,
" जी बी सी इमेरिटस की पदवी से, जी बी सी बॉडी द्वारा, एक सेवानिवृत्त जी बी सी सदस्य को, जो इस्कॉन व जी बी सी बॉडी के लिए अति विशिष्ट सेवा कर चुके हैं , सम्मानित किया जा सकता है

"कई वर्षों की सेवा द्वारा अर्जित अपने व्यापक अनुभव व ज्ञान के चलते, जी बी सी एमेरिटी का स्वागत है कि वे विशेष अनुरोध पर , जी बी सी बॉडी, सदस्यों , तथा जीबीसी डिप्टीयों को, गैर प्रबंधकीय की भूमिका निभाते हुए ,सलाह प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहें।

"जी बी सी एमेरिटी का स्वागत है की वे जी बी सी बॉडी की बैठकों मे भाग लें, उन्हें मतदान का अधिकार छोड़कर , अन्य सभी नियमित जी बी सी सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे । जी बी सी इमेरिटस के अनुरोध पर , जीबीसी कार्यकारी समिति उनके नाम को ऑनलाइन जीबीसी सभा मे सम्मिलित कर सकती है।"

२०३.०३ : जीबीसी सदस्य

[शीर्षक] - नए जीबीसी के लिए चल रहे समर्थन , प्रशिक्षण और जवाबदेही -२०२० वक्तव्य

निर्णय :
जी बी सी संगठनात्मक विकास समिति को निर्देशित किया जाता है की वे नए जीबिसियों के लिए चल रहे समर्थन, प्रशिक्षण व जवाबदेही के प्रणाली, मापदंडों व प्रक्रिया को बताते हुए एक प्रस्ताव ऑक्टोबर २०२० की मध्यावधि आम बैठक मे प्रस्तुत करें।

२०४.०३ : जी बी सी बैठक

[शीर्षक] - वार्षिक आम बैठक २०२१ की तिथि -२०२०

कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

२२ फरवरी – संगठनात्मक विकास

२३ फरवरी – संगठनात्मक विकास

२४ फरवरी – संगठनात्मक विकास/ ई सी

२५ फरवरी – संगठनात्मक विकास/ ई सी नित्यानंद त्रयोदशी

२६ फरवरी – संगठनात्मक विकास विषयों पर पूर्ण जी बी सी

२७ फरवरी – जी बी सी पूर्ण

२८ फरवरी – जी बी सी पूर्ण

१ मार्च – एस जी जी एस (जी बी सी, गुरु, संन्यासी संघ)

२ मार्च – एस जी जी एस

३ मार्च – एस जी जी एस

४ मार्च – जी बी सी पूर्ण

५ मार्च -- जी बी सी पूर्ण

६ मार्च -- जी बी सी पूर्ण

७ मार्च -- जी बी सी पूर्ण

८ मार्च -- जी बी सी पूर्ण

९ मार्च -- जी बी सी पूर्ण

१२ मार्च - उत्सव उद्घाटन

१३-१६ मार्च - कीर्तन मेला

१७-२४ मार्च - नवद्वीप मण्डल परिक्रमा

२८ मार्च - श्री गौर पूर्णिमा

२०९.०२ : आध्यात्मिक सलाहकार भागवत सभा (सभा)

[शीर्षक] प्रस्तावों व निर्णयों की समीक्षा : सभा दस्तावेज धारा २ अ   का संशोधन–२०२० कार्यवाही निर्णय

जबकि जी बी सी द्वारा सभा का निर्माण जी बी सी पर जांच व ध्यान रखने के लिए किया गया था
जबकि वर्तमान मे सभा मे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर प्रस्तुत और अस्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा की जा सके

निर्णय :
सभा की धारा २अ (२०१८ की वार्षिक बैठक का निर्णय ३०६) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:
सभा को जी बी सी निम्न उपलब्ध कराएगी :

- पारित निर्णय*
- प्रस्तुत व अस्वीकृत प्रस्ताव

सभा अपने मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी भी जी बी सी निर्णय का विरोध कर सकती है और उसे जी बी सी के पास पुनः अवलोकन के लिए भेज सकती है। यह निर्णय पूर्वव्यापी नहीं है।

[निर्णय के पद लेख]
* जो गोपनीय नहीं समझे जाएंगे

२०९.०३ : आध्यात्मिक सलाहकार भागवत सभा (सभा)

[शीर्षक] सभा सदस्यता - अस्थायी सदस्यों की मंजूरी : सभा दस्तावेज धारा ७   का संशोधन–२०२०

कार्यवाही का निर्णय

जबकि वर्तमान सभा निर्णय मे समय पर सदस्यों को बदलने का प्रावधान नहीं है

जबकि सभा के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब उनमे विविध रचना व न्यूनतम सदस्य हों

जबकि सभा दस्तावेज #९ (c) मे अध्यक्ष के कर्तव्यों मे से एक है “सदस्यों के चुनाव की निगरानी करना”

निर्णय :

सभा अध्यक्ष और/ अथवा कोई भी नियुक्त सदस्य एक अस्थायी सभा सदस्य के चयन के विषय मे एस जी जी एस, क्षेत्रीय परिषद , वैष्णवी मंत्रालय, और युवा मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। एक अस्थाई सदस्य को एक नियमित सभा सदस्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। अस्थायी सदस्यों के समावेश का अनुमोदन, सभा के मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अस्थायी सदस्य को तब उपयुक्त प्रशासनिक एजेंसी द्वारा, या तो अनुमोदित किया जा सकता है अथवा बदला जा सकता है।

अस्थायी सदस्य एक नियमित सदस्य के सारे कर्तव्यों व अधिकारों के अनुसार कार्य करेगा। संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन पर अस्थायी सदस्य नियमित सदस्य बन सकता है।

अनुभाग ३००: अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ

३०१.०३: इस्कॉन सदस्य

[शीर्षक] - घरेलू हिंसा की समझ व प्रबंधन विषयक नीति दिशा-निर्देश

दिशानिर्देश

जबकि श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को सब समय एक उदाहरणात्मक आचरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है

जबकि गृहस्थ आश्रम, दोनों पति और पत्नी , के लिए एक शांतिपूर्ण सहवास और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बना आश्रम है

जबकि श्रील प्रभुपाद ने अपनी स्त्री शिष्यों के व्यस्त रखने, सुविधाएँ प्रदान करने, व सुरक्षा प्रदान करने का विशेष ध्यान रक्खा

जबकि हमारे शास्त्र सभी भक्तों को ब्राह्मणों, वृद्धों, बच्चों , स्त्रियों व गायों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करते हैं

जबकि इस्कॉन समुदाय मे वैष्णव पति कभी कभी शास्त्रों के संदर्भ को, अथवा बाहर से गैर गौड़ीय वैष्णव संस्कृति के नियमों को दर्शा के अपनी पत्नी पर शारीरिक अथवा भावनात्मक हिंसा को न्यायोचित ठहरातें हैं

जबकि घरेलू हिंसा बच्चों व समुदाय को भी क्षति पहुंचाती है

निर्णय :
घरेलू हिंसा के विरुद्ध जी बी सी वक्तव्य को इस्कॉन जी बी सी स्वीकार करती है और उसमे जो दिशानिर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार यह स्वीकार करती है की वह समुदाय मे घरेलू हिंसा से भक्तों को निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे तथा व्यवस्थापकों और नेतृत्व को संसाधन प्रदान करे जिससे वह समुदाय मे हो रही घरेलू हिंसा से निपट सकें।

[निर्णय के पद लेख]
२०१९ मे इस्कॉन उत्तरी अमरीका ने एक घरेलू हिंसा संबंधी नीतिनिर्देश लागू किए। इसे सहर्ष स्वीकारा गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन के लिए एक संशोधित नीतिनिर्देश उपलब्ध है।

३०१.०६ : इस्कॉन सदस्य
[शीर्षक] आनंद चैतन्य दास की याचिका संबंधित जी बी सी निर्णय - २०२०
कार्यवाही का आदेश

जबकि आनंद चैतन्य दास, भूतपूर्व भक्ति स्वरूप चैतन्य स्वामी, सन्यास आश्रम के नियमों के प्रति गंभीर अपराध करते पाए गए थे

जबकि सन्यास मंत्रालय ने , इस विषय मे साक्ष्यों के आधार पर, उन्हें सन्यास पदवी से वंचित करने का निर्णय लिया था

जबकि आनंद चैतन्य दास ने इस निर्णय के लिए याचिका की थी

जबकि जी बी सी ने इस विषय मे अधिक छानबीन के लिए गिरिराज स्वामी, कृष्ण केशव दास, और राधा दासी (एम जी) की एक उपसमिति बनाई थी

जबकि उपसमिति ने अपनी सिफारिश जी बी सी बॉडी को प्रस्तुत कर दी है

निर्णय :

आनंद चैतन्य दास को निम्नलिखित का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है:
वरिष्ट भक्तों का नियमित निकट का संग और ध्यानपूर्वक सलाहनिर्देश। ऐसी सहायता विशेष रूप से आनंद चैतन्य दास को श्रील प्रभूपाद, इस्कॉन, सन्यास आश्रम, और भक्त समाज की प्रतिष्ठा का आदर करने के मूल्य को समझने मे होनी चाहिए। उन्होंने सूचित किया है की निरंजन स्वामी और भक्ति चैतन्य स्वामी उन्हे जानते हैं तथा प्रभावी प्रतिपालक हो सकते हैं।

संन्यास अवस्था न्यूनतम चार वर्षों के लिए निलंबित। यह निलंबन की अवधि मूल निर्णय के तिथि से प्रारंभ होगी, अर्थात आनंद चैतन्य दास अब तक निलंबन के एक वर्ष पूरे कर चुके हैं। चार वर्ष की अवधि के उपरांत संन्यास समिति द्वारा उनकी स्तिथि का पुनरावलोकन किया जाएगा। यदि वे पुनर्स्थापना के लिए तैयार नहीं है, संन्यास समिति आनंद चैतन्य दास के प्रतिपालकों के प्रतिपुष्टी के आधार पर, निलंबन को बढ़ा सकती है।

सीमित प्रचार के अवसर। इन संस्तुतियों की स्वीकृति के एक वर्ष की अवधि के उपरांत, आनंद चैतन्य दास को घर के छोटे समारोह मे प्रचार का अवसर दिया जा सकता है। यदि यह अवसर उन्हे दिया जाता है, हमारा सुझाव है की उन्हे स्थानीय व क्षेत्रीय नेतृत्व से अनुमति लेना अनिवार्य है (अपने विरुद्ध निर्णय के प्रतिबंधों को बताते हुए)। इसके अतिरिक्त वे कोई भी यात्रा व प्रचार एक परिपक्व व विश्वसनीय वैष्णव का संरक्षण मे करें। मूल निर्णय से चार वर्ष की अवधि के समापन पर उनके प्रतिपालक यह आकलन कर सकते हैं की क्या वह बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए तैयार हैं।

नेतृत्व पद पर पाँच वर्ष का प्रतिबंध। यह मूल निर्णय का भाग था और हमे विश्वास है की यह उपयुक्त है। यह पाँच वर्ष की अवधि मूल निर्णय की तिथि से प्रारंभ होगी। सामान्य मानक जो बाल संरक्षण कार्यालय तथा उत्तरी अमरीका नेतृत्व दुराचार समिति द्वारा उपयोग किए जातें हैं वे हैं की श्रीमद भागवतं सत्र देना, रविवार प्रीतिभोज अथवा अन्य सार्वजनिक प्रवचन देना, अथवा कीर्तन करना , नेतृत्व पद मे आते हैं।

अन्य प्रतिबंध संभव हैं। आनंद चैतन्य दास को यह स्पष्ट कर देना चाहिए की यह सुधार का उपचारात्मक कार्यक्रम उनके लिए एक अवसर है विश्वास पुनर्स्थापित करने व स्वीकृत इस्कॉन

सन्यासी के रूप मे पुनरबहाली का । यदि वे इस परख की अवधि की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तब इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, अथवा उन्हे और प्रतिबंध , सन्यास से सदा के लिए पदच्युत करने समेत, लगाए जाने चाहिए।

यह जी बी सी निर्णय दो प्राथमिक विचारों पर आधारित है। पहला , सुधार व सुदृढीकरण इस्कॉन के किसी भी सुधार प्रणाली के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। आनंद चैतन्य दास के अपराध उन्हे इस्कॉन से निकाले जाने लायक गंभीर नहीं हैं। अतः हमे उनके सुधार की चिंता होनी चाहिए।
आगे, पाँच वर्ष की बिना प्रतिपालक व बिना मूल्यांकन की प्रतिबंधित अवधि का अर्थ है की हमे कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होगा की आनंद चैतन्य दास ने उन प्रवृत्तियों को ठीक कर लिया है जिसके कारण यह स्थिति आई। ध्यानपूर्वक प्रतिपालन व निगरानी का थोड़ा प्रतिबंधित समय से अछे फल आने की अधिक संभावना है।

३०३.०३ : इस्कॉन मंदिर व सहबद्ध
[शीर्षक]–श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना कार्यवाही का आदेश

जबकि २०१५ के सन्यासी, गुरु और जी बी सी संग मे किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य प्रकट हुए कि १७% से भी कम इस्कॉन के नेतागण श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ते हैं।

जबकि २०१७ के एसजीजीएस संस्करण मे भी यह महसूस किया गया की श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन को बढ़ाने के लिए एक विश्वव्यापी प्रयास होना चाहिए

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कई बार अपने ग्रंथों के महत्व पर जोर दिया और इस्कॉन के नेताओं से प्रार्थना की कि वे उन्हे पढ़ें और अन्यों को इन्हे व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रशिक्षण प्रदान करें

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कई अवसरों पर यह घोषणा की थी “मुझे बड़ी प्रसन्नता है यह जानकर की आप हमारी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और उनके विषय मे आप अति विचारवान हैं”

जबकि श्रील प्रभुपाद ने बारम्बार अपने शिष्यों से कहा था, "मेरे ग्रंथों मे कृष्ण भावनमृत के दर्शन को पूर्ण रूप से समझाया गया है, अतः यदि ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया, तो आपको केवल बारम्बार पढ़ना है"

जबकि श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुयाईओ को सचेत किया है कि वे नित्य अध्ययन, चर्चा और अन्यों को प्रचार मे अपनी बुद्धि को लगाएँ जिससे हमारे मन और कार्य शुद्ध बने रहें

जबकि यह आवश्यकता है की इस्कॉन की भावी पीढ़ी को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को लगन से पढ़ने की संस्कृति प्राप्त हो , जिससे अटकलों व मनगढ़ंत बातों को रोका जा सके

जबकि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के नियमित अध्ययन द्वारा वर्तमान व भावी पीढ़ियाँ श्रील प्रभुपाद के दिव्य संग का लाभ ले सकतीं हैं

निर्णय :

श्रील प्रभुपाद के अमरीका आगमन की तिथि से पूर्व सप्ताह को "श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन सप्ताह" घोषित किया जाए

इस्कॉन केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि इस सप्ताह के दौरान सभी प्रवचनों व चर्चाओं मे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन के महत्व को उजागर करें।
इस्कॉन नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाता है की इस सप्ताह के दौरान वह श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित और व्यवस्थित रूप से कैसे और क्यों पढ़ना चाहिए विषयक सेमीनार व अन्य कक्षाएँ आयोजित करें और अपने अधीन भक्तों को प्रेरित करें।
गृहस्थ भक्तों को भी उत्साह पूर्वक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन की प्रेरणा देने के लिए नए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिए।

३०३.०३ : ३०३.०३ : इस्कॉन मंदिर व सहबद्ध
[शीर्षक] - व्यास आसन से प्रस्तुति -२०२०
वक्तव्य

जबकि श्रीमद भागवतं , श्री चैतन्य चरितामृत, और भगवद गीता की कक्षाएँ , अध्ययन चर्चा व हमारे शास्त्र की समझ को गहरा करने का एक पवित्र समय है

जबकि श्रीमद भागवतं , श्री चैतन्य चरितामृत, और भगवद गीता कक्षा के समय अथवा अंत मे अपने स्वयं के भक्तिमय उत्पादों का विज्ञापन अच्छा नहीं है

जबकि पिछले कुछ वर्षों मे यह देखा गया है कि , विश्व भर मे कई ऑनलाइन कक्षाओं मे यह प्रथा जोर पकड़ रही है और इसके एक नियम बनने का खतरा है

जबकि वे प्रवक्ता जो अपने भक्तिमय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हे समय से पहले, प्रासंगिक अधिकारियों से संपर्क करके भक्तों को सूचित करना चाहिए जिससे - कक्षा के बाद- उनकी पुस्तकें, सीडी, या यूएसबी इत्यादि, क्रय के लिए उपलब्ध हों

निर्णय :

प्रवक्ता द्वारा कोई पुस्तक, सामग्री,अथवा अन्य कोई भी उत्पाद व्यास आसन से अथवा निकट से विज्ञापन, अथवा बेचने की अनुमति नहीं होगी।

सभी इस्कॉन मंदिरों और केंद्रों को यह सुनिश्चित करना होगा की कोई भी प्रवक्ता व्यास आसन से बोलते समय व्यास आसन अथवा निकट के स्थान को किसी भी पुस्तक या अन्य उत्पादों के (जिसमे स्वयं के भी सम्मिलित हैं) विज्ञापन या क्रय के लिए उपयोग न करें।

इस नियम के अपवाद हैं केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ और रिकॉर्डिंग

३०३.०३ : इस्कॉन मंदिर व सहबद्ध
[शीर्षक] - घी मे पकाना -२०२०
दिशानिर्देश

जबकि श्रील प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों को घी का उपयोग करके प्रसादम बनाने के निर्देश दिए और सिखाया

जबकि अधिकतर इस्कॉन मंदिर प्रमुखतः आर्थिक कारणों से पकाने के लिए घी के स्थान पर तेल का उपयोग करते हैं

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कहा :

“अन्न घृत दधि और दूध.. यह सभी खाद्य पदार्थ के आधार हैं सब्जियां व फल उपशाखाएँ हैं.. हमे समझना चाहिए की पोषक खाद्य पदार्थ बनाने के लिए हमे केवल धान्य, घी, दही व दूध की आवश्यकता है। हम विग्रह को और कुछ अर्पण नहीं कर सकते। वैष्णव , परिपूर्ण मानव , विग्रह को अर्पण किए बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते।“ (सी सी मध्य ४.९३ तात्पर्य)

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कहा :

पूरे दिवस मे कोई भी आए उनके लिए प्रचुर मात्रा मे प्रसादम होना चाहिए। पाकशाला हमेशा खुली रहनी चाहिए। तो देखो की चावल, आटे घी इत्यादि का पर्याप्त भंडार है। आजीवन सदस्यों को आमंत्रित करना और उनका विशेष ध्यान रक्खा जाना चाहिए (गुरुदास को पत्र १ जुलाई १९७४, मेलबोर्न)

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कहा :

“प्रारंभ से ही हमने कहा कि रेस्तरां और कृषि क्षेत्र खोलें। कृषि क्षेत्र मे घी उत्पादन करें और रेस्तरां मे भेज दें, और वहाँ स्वादिष्ट समोसे और कचोरी बनाएँ, धन की कोई कमी नहीं होगी। और यदि आप इस तरह से व्यवस्थापन करते हैं तो आपका पूरा देश कृष्ण भावनभावीत हो जाएगा। पूरा देश “ (रूम बातचीत - ४ मई १९७६, होनालूलु)

जबकि श्रील प्रभुपाद ने व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कई व्यवस्थाएं की जिससे इस्कॉन मंदिरों को घी प्राप्त हो सके।

जबकि श्रील प्रभुपाद ने कहा :
“ऐसे प्रथम श्रेणी के पुरुषों के मार्गदर्शन के बिना कोई समाज दिव्य ज्ञान मे प्रगति नहीं कर सकता, और कोई मस्तिष्क बिना उत्तम मस्तिष्क की कोशिकाओं के सूक्ष्म ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता। ऐसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए हमें पर्याप्त मात्रा मे दूध और दुग्ध पदार्थों की आवश्यकता है” (भागवत का प्रकाश २७)

जबकि श्रील प्रभुपाद ने अपने कई वक्तव्यों मे, अनिवार्य बुद्धि विकास के लिए घी को भोजन का अनिवार्य अंग बताया है

निर्णय :
सभी इस्कॉन मंदिरों को घी मे पकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

३०६.०२ : अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प
[शीर्षक] - मायापुर उत्सव घोषणा : अनुभाग अ -प्रतिबद्धता का वक्तव्य -२०२०
वक्तव्य

जबकि श्रील प्रभुपाद ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से, प्रतिवर्ष भाग लेकर, मायापुर उत्सव के महत्व को दर्शाया है - वे सर्वप्रथम आते और सबसे अंत मे जाते

जबकि श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को मायापुर उत्सव मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया

जबकि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जी बी सी आचार्यों की तरह बने और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें

जबकि इस्कॉन मायापुर हमारा वैश्विक प्रधान कार्यालय है, और वेदिक नक्षत्र भवन का मंदिर (टी ओ वी पी) का घर। अतः यहाँ, जी बी सी को अन्य इस्कॉन भक्तों के संग मे आने और भक्ति के पाँच प्रमुख अंगों का पालन करने के लिए एक आदर्श स्थान प्राप्त है

जबकि श्रीधाम मायापुर मे भक्ति की क्रियाओं को एकसाथ मे कर के , हम सार्वभौमिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। यह श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है. "...नवदीप मण्डल परिक्रमा करने मात्र से , जगत मुक्त हो सकता है"

जबकि वर्तमान नेतृत्व के भाव व कार्य भावी नेतृत्व पीढ़ियों को संदेश भेजेंगे

जबकि मायापुर उत्सव प्रेम , विश्वास, और मित्रता को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। वह परिवार जो साथ मे प्रार्थना करता है, साथ मे रहता है

जबकि कुछ भक्तों के लिए मायापुर आना और नेताओं का संग न कर पाना निराशा का कारण है, क्योंकि हमारे नेतागण जी बी सी बैठकों के दौरान अति व्यस्त रहते हैं और बैठक के तुरंत बाद चले जाते हैं

जबकि यदि हमारे नेताओं द्वारा मायापुर उत्सव मे पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया जाता तो यह संस्था के लिए बड़ी हानि होगी

निर्णय :
जी बी सी बॉडी निम्न वक्तव्य प्रकाशित करती है:
"जी बी सी बॉडी एक स्वस्थ और पोषक मायापुर उत्सव के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी प्राप्ति के लिए, हम इस उत्सव मे व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा सहयोग करने ले लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही साथ अपने अन्य वैष्णव सहयोगियों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे।"

३०६.०२ : अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प

[शीर्षक] - मायापुर उत्सव घोषणा : अनुभाग ब - एसजीजीएस की भागीदारी -२०२०

कार्यवाही का आदेश

जबकि जीबीसी सदस्यों के अतिरिक्त, हमारी संस्था के अन्य नेताओं का मायापुर उत्सव मे सम्मिलित होना बहोत प्रभावी होगा

निर्णय :

जीबीसी बॉडी, एसजीजीस के व्यवस्थापकों को निवेदन करती है कि वे निम्नलिखित को उनके २०२१ की बैठक की कार्यसूची मे सम्मिलित करें:

मायापुर उत्सव: जीबीसी, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, गुरुओं, और संन्यासियों की सहभागिता को बढ़ाना

अनुभाग ४००: इस्कॉन मंत्रालय व समितियाँ
४०७.०२: इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय (आईडीडब्लूएम)
[शीर्षक] - तैयारी के प्रमाणपत्र मे संशोधन–याचना की प्रक्रिया–२०२०
शासकीय कानून :

जबकि इस्कॉन शासकीय कानून ४०७.०२ “विग्रह प्राणप्रतिष्ठा नियम-२०१२” मे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे केंद्र, इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय के निर्णयों के संदर्भ मे याचिका दायर कर सकते हैं

जबकि इस्कॉन केंद्रों को निर्णय के विरुद्ध याचिका करने का अधिकार है

जबकि इस्कॉन केंद्रों को निर्णय के विरुद्ध याचिका करने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए

और जबकि इस्कॉन कानून मे पहले से ही याचिका करने की प्रक्रिया का वर्णन है

निर्णय :

इस्कॉन कानून ४०७.०२, इस्कॉन मे विग्रह सेवा प्रारंभ करने के लिए “विग्रह प्राणप्रतिष्ठा नियम-२०१२” को निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया जाता है:

किसी भी इस्कॉन केंद्र ने यदि विग्रह सेवा प्रारंभ करने के लिए इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय को एक तैयारी के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है परंतु उनका आवेदन सफल नहीं हुआ, तो वे निम्नलिखित पद्धति से निर्णय के विरुद्द याचिका कर सकते हैं:

- इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय को सूचित करें कि वे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।
- आईडीडब्लूएम तब निर्णय संबंधी एक लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।
- यदि केंद्र फिर भी संतुष्ट नहीं है, तब उनके पास जीबीसी द्वारा स्थापित याचिका प्रणाली निर्णय ६०४.२ जीबीसी कार्यकारी समिति को निर्णय के विरुद्ध याचिका के अंतर्गत याचिका करने का विकल्प है।
-

पूर्ण संशोधित कानून निम्नलिखित है:

किसी भी इस्कॉन केन्द्र को विग्रह के प्रतिस्थापन के लिये और सार्वजनिक मन्दिर अर्चन के लिये या इस्कॉन केन्द्र किसी भी विग्रह की अर्चन शुरू करने के लिये''आराधना की तैयारी का प्रमाण पत्र'' प्राप्त करना होगा।

केन्द्र विग्रह ला सकते है तथा प्रस्तावित मन्दिर का प्रचार कर सकते हैं अगर उन्होंने सफलतापूर्वक प्रथम स्तर के अनुमोदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। केन्द्र को विग्रह आराधान की तारीख तब तक विज्ञापित नहीं करना चाहिये जब तक उसे ''आराधना तैयारी का प्रमाण पत्र'' नही मिलता।

यह ''आराधना तैयारी का प्रमाण पत्र'' केवल उन्हीं विग्रहों के लिए वैद्य होगा जिनके लिये दिया गया है यह व्यापक शाश्वत अनुमति नहीं है।

प्रथम सम्पर्क :– जो केन्द्र विग्रह सेवा प्रारंभ करना चाहते है उन्हें इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय की वेबसाईट *Deityworship.com.*पर आवेदन देना होगा। यह आवेदन प्राप्त होने पर आई.डी.डब्ल्यू.एम. क्षेत्रीय जी.बी.सी. व क्षेत्रीय अधिकारियों से सम्पर्क कर के इस आवेदन की व्यवहारिकता पर परामर्श करेगें। अगर चर्चा से यह सामने आता है कि केन्द्र ने विग्रह सेवा की आवश्यकताओं का ठीक से विश्लेषण किया है तथा विग्रह सेवा के लिये आवश्यक साधनों की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं तब उसे प्रथम स्तर का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इससे अब मन्दिर को विग्रह लाने की व्यवस्था तथा धन एकत्रित करने आदि सेवाओं को प्रारंभ करना सम्भव हो सकेगा।

द्वितीय व अन्तिम चरण का मूल्यांकन एक आई.डी.डब्ल्यू.एम. प्रतिनिधि के उस स्थान का निरिक्षण करने पर अथवा संबंधित भक्तों से विस्थापित चर्चा करने पर किया जाएगा।

आराधना की तैयारी का मूल्यांकन स्थानिय प्रतिनिधि (सम्बन्धित मन्दिर से), जी.बी.सी., स्थानीय क्षेत्रीय नेतृत्व (जिसमें राष्ट्रीय परिषद या आर.जी.बी. के प्रतिनिधि का समावेश हो) तथा एक इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। जी.बी.सी. की कार्यकारी समिति को मूल्यांकन के परिणाम की सूचना दी जाएगी।

श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए विग्रह यथा राधा कृष्ण, जग्गनाथ, बलदेव, सुभद्रा ओर गौर निताई (अथवा पंचतत्व) और शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य विग्रह के लिये आवेदन पर आई.डी.डब्ल्यू.एम. को कार्यकारी समिति से परामर्श कराना होगा।

अतः ऐसे किसी भी आवेदन में जिसमें कृष्ण, बलराम या सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान का समावेश हो आई.डी.डब्ल्यू.एम. जी.बी.सी. कार्यकारी समिति से चर्चा करेगी।

उपरोक्त विग्रहों के अतिरिक्त अन्य विग्रहों के विषय में आई.डी.डब्ल्यू.एम. को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जी.बी.सी. समिति की अनुमति लेनी होगी।

यह तैयारी का प्रमाण पत्र प्रथम प्राणप्रतिष्ठा दिनांक से 180 दिनों के लिये वैद्य होगा। अगर यह 180 दिनों के समय में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो मन्दिर का पूर्नमूल्यांकन आई.डी.डब्लयू.एम. के द्वारा किया जाएगा ताकि नविन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके।

किसी भी इस्कॉन केंद्र ने यदि विग्रह सेवा प्रारंभ करने के लिए इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय को एक तैयारी के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है परंतु उनका आवेदन सफल नहीं हुआ, तो वे निम्नलिखित पद्धति से निर्णय के विरुद्द याचिका कर सकते हैं:

- इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय को सूचित करें कि वे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।
- आईडीडब्लूएम तब निर्णय संबंधी एक लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।
- यदि केंद्र फिर भी संतुष्ट नहीं है, तब उनके पास जीबीसी द्वारा स्थापित याचिका प्रणाली निर्णय ६०४.२ जीबीसी कार्यकारी समिति को निर्णय के विरुद्ध याचिका के अंतर्गत याचिका करने का विकल्प है।

४११.०१: हरिनाम संकीर्तन मंत्रालय (हसम)

[शीर्षक] - विश्व पवित्र नाम समिति से इस्कॉन हरिनाम संकीर्तन मंत्रालय उन्नयन–२०२०
प्रशासनिक आदेश

जबकि हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है और सभी इस्कॉन भक्तों के लिए मूल अभ्यास है

जबकि अन्य महत्वपूर्ण इस्कॉन क्रियाएं मंत्रालयों द्वारा समर्थित है , जिनमे निम्न सम्मिलित हैं:

- ग्रंथ वितरण मंत्रालय
- गोरक्षा व कृषि मंत्रालय
- इस्कॉन विग्रह सेवा मंत्रालय

जबकि जीबीसी स्थायी समिति , विश्व पवित्र नाम समिति, सन २००७ से प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और अब एक मंत्रालय के रूप मे कार्य करने के लिए तत्पर है

जबकि विश्व पवित्र नाम समिति अन्य सदस्यों को भी जोड़ने की ईछुक है जिससे एक मंत्रालय के रूप मे कार्य कर सके

निर्णय:

विश्व पवित्र नाम समिति का पुनर्गठन इस्कॉन हरिनाम संकीर्तन मंत्रालय के रूप मे किया जाता है।

मंत्रालय का विस्तार अन्य सदस्यों को जोड़ कर किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों का सेवा विवरण मंत्रालय द्वारा निश्चित किया जा सकता है।

लोकनाथ स्वामी मंत्री होंगे।

४२३.०३: गुरु सेवा समिति
[शीर्षक] - द्वितीय दीक्षा नीतियों मे बदलाव का गहन अध्ययन
कार्यवाही का आदेश

जबकि इस्कॉन मे विभिन्न दीक्षा गुरुओं ने इस्कॉन सदस्यों को कब द्वितीय दीक्षा प्रदान करें इस संबंध मे भिन्न भिन्न नीतियाँ स्थापित की हैं। कुछ बहोत आसानी से द्वितीय दीक्षा प्रदान कर देते हैं, भले ही वह कोई भी सेवा कर रहे हों, और कुछ अन्य, द्वितीय दीक्षा केवल उन भक्तों को आसानी से देते हैं जो इस्कॉन मंदिर के विग्रहों की सेवा मे लगने वाले हैं , और बहोत थोड़े अन्य हैं.. ..

जबकि परीक्षा बोर्ड ने, भकतिवेदांत उपाधि कार्यक्रम मे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए, एक मानक स्थापित किया है , जहां पंजीकरण के लिए द्वितीय दीक्षा एक पूर्वकांक्षित योग्यता है, और बहोत जल्द वे एक संशोधित मानक प्रकाशित करने वाले हैं जिसमे यह पूर्वकांक्षित योग्यता को हटा कर एक नई योग्यता का समावेश होगा कि भकतिवेदांत उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को द्वितीय दीक्षा प्राप्त होना चाहिए

जबकि इस्कॉन के दीक्षा गुरुओं मे द्वितीय दीक्षा की नीतियों के विषय मे समानता का अभाव अनावश्यक विवाद और भ्रम का स्रोत बन सकता है

जबकि कई गुरुओं ने श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई द्वितीय दीक्षा की अनिवार्यताओं को बदल दिया है

निर्णय:

गुरु सेवा समिति को निर्देशित किया जाता है कि वे द्वितीय दीक्षा की भिन्न भिन्न नीतियों का गहराई से अध्ययन करें और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें।

४३१.०२ : इस्कॉन अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं के अनुचित व्यवहार को रोकने के कार्यालय (पीएलएम कार्यालय)
[शीर्षक] -- नेताओं के अनुचित व्यवहार को रोकने के कार्यालय को अंतरिम दिशा-निर्देश

कार्यवाही का आदेश

जबकि २०१८ मे यह निर्णय किया गया था कि इस्कॉन अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं के अनुचित व्यवहार को रोकने के कार्यालय (पीएलएम कार्यालय) एक स्थायी इस्कॉन संगठनात्मक समिति के रूप मे स्थापित किया जाए जिसकी जीबीसी बॉडी द्वारा समीक्षा की जा सके (जैसा अन्य कार्यालयों और मंत्रालयों के साथ है)

जबकि पीएलएम कार्यालय के तात्कालिक उद्देश्यों मे से एक था एक दस्तावेज तैयार करना जिसमे अ) नेताओं द्वारा यौन शोषण को रोकना, ब) शिकायतों की ओर ध्यान देना और क) जाँच करना के संदर्भ मे इस्कॉन की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ व प्रक्रियाएं सम्मिलित हों
जबकि जीबीसी बॉडी इस प्रकार के दिशा-निर्देश के अमल की अत्यावश्यकता को स्वीकार करती है जिससे कार्यालय का कार्य चल सके

निर्णय:
जब तक अंतिम पीएलएम कार्यालय दिशा -निर्देश नहीं स्वीकारे जाते, पीएलएम कार्यालय निर्देशक को उनके विवेकानुसार शिकायतें स्वीकार करने का अधिकार होगा। ऐसी सभी शिकायतों को पीएलएम कार्यालय कार्यकारी दस्तावेज मे वर्णित नियमों के आधार पर निपटाया जाएगा।

जीबीसी की २०२० की मध्यावधि सामान्य बैठक तक पीएलएम कार्यालय के निर्देशक जीबीसी कार्यकारी समिति को नीति और प्रक्रियाओं के दिशा-निर्देश प्रस्तुत करेंगे।
जीबीसी कार्यकारी समिति को अधिकृत किया जाता है की वो जीबीसी की २०२० मध्यावधि सामान्य बैठक मे अथवा पहले नीति और प्रक्रियाओं के दिशा-निर्देश को, जैसा उन्हे सही लगे, स्वीकृत करे, और ऐसी संशोधित दिशा-निर्देश पीएलएम कार्यालय के आधिकारिक नीति व प्रक्रिया दिशा-निर्देश होंगे।
[निर्णय के पद लेख]
जीबीसी ने बहोत समय पीएलएम कार्यालय की दिशा-निर्देश की चर्चा मे बिताया है, परंतु कुछ विवरण रह गए थे । अतः जीबीसी ने कार्यकारी समिति को अधिकृत किया की वे उनकी ओर से अंतिम नीतियों को स्वीकार करें। यदि कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तब उसे जीबीसी को वितरित किया जाएगा और इस्कॉन संस्था मे सार्वजनिक किया जाएगा।

अनुभाग ५००: डिप्टी ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर, और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक

५०४.०१: स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (एसडीओ)

[शीर्षक] स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की स्थिति को इस्कॉन कानून मे एक अधिकारिक स्थिति के रूप मे स्थापित करना

प्रशासनिक आदेश

जबकि कदाचित एक वरिष्ठ भक्त को जीबीसी बॉडी या जीबीसी ईसी द्वारा कोई विशेष सेवा किसी क्षेत्र, नगर, या देश मे अथवा किसी इस्कॉन इकाई जैसे मंत्रालय मे दी जा सकती है। यह सेवा सीमित समय के लिए और विशिष्ट दायरे मे होंगे

जबकि स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की उपाधि पूर्व मे भी उपयोग की गई है परंतु कभी इस्कॉन कानून मे एक अधिकारिक स्थिति के रूप मे नहीं बनाई गई

निर्णय:

स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की स्थिति को इस्कॉन कानून मे एक अधिकारिक इस्कॉन स्थिति के रूप मे स्थापित किया जाता है। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर जीबीसी बॉडी अथवा जीबीसी ईसी द्वारा,

आवश्यकता पड़ने पर या क्षेत्रीय जीबीसी के निवेदन पर, नियुक्त किए जा सकते हैं। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की विशेष कर्तव्यों को जीबीसी बॉडी अथवा जीबीसी ईसी द्वारा, क्षेत्रीय जीबीसी के साथ परामर्श द्वारा स्थापित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर या क्षेत्रीय जीबीसी के निवेदन पर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के नियत कार्यों को बदला जाएगा।

अनुभाग ७००: गुरु और शिष्य
७०१.०६: इस्कॉन दीक्षा गुरु
[शीर्षक] - जीबीसी निर्णय ७०१.६ "वैष्णवी दीक्षा गुरु-२०१९" पर चर्चा की योजना - २०२० वक्तव्य

निर्णय :

इस्कॉन इंडिया ब्युरो व कई जीबीसी सदस्यों के निवेदन पर, ४ फरवरी के संयुक्त मंथन सत्र मे इस विषय पर एक चर्चा हो।

निर्णय ७०१.६, "इस्कॉन दीक्षा गुरु, वैष्णवी दीक्षा गुरु-२०१९", मे किसी भी प्रकार के संशोधन पर अंतिम निर्णय जीबीसी द्वारा पुणे की २०२० जीबीसी मध्यावधि आम बैठक मे लिया जाएगा

अनुभाग ८००: नियुक्तियाँ
८०२.०१: जीबीसी अधिकारी और सदस्य
[शीर्षक] - जीबीसी अधिकारी -२०२०
कार्यवाही का आदेश

निर्णय :
प पू रमाई स्वामी जीबीसी अध्यक्ष निर्वाचित
प पू भक्ति चैतन्य स्वामी प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित
प पू भानु स्वामी द्वितीय उपाध्यक्ष निर्वाचित
प पू गोपाल कृष्ण गोस्वामी जीबीसी सचिव निर्वाचित

८०२.०२ : जीबीसी अधिकारी और सदस्य
[शीर्षक] - गोवर्धन दास एक जीबीसी सदस्य निर्वाचित -२०२०
कार्यवाही का आदेश

जबकि जीबीसी बॉडी ने जीबीसी नामांकन समिति को जीबीसी सचिव के पद के लिए उम्मीदवार जाँचने के लिए अधिकृत किया था

जबकि संदर्भ व प्राधिकारी श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी को जीबीसी सचिव की भूमिका के लिए पूर्ण समर्थन करते हैं

जबकि श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया की सभी योग्यताओं को पूरा किया जिनमे निबंध, प्रश्नावली, क्षेत्रीय विश्लेषण सम्मिलित है और उन्होंने प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग दिया

जबकि श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी का सेवा और व्यावसायिक कार्य निष्पादन रिकार्ड उनके एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की क्षमता को प्रमाणित करता है

जबकि श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी की पत्नी की स्वीकृति है की यदि जीबीसी बॉडी आवेदक को स्वीकार करती है तो आवेदक जीबीसी सचिव की पदवी स्वीकार कर सकता है

जबकि ऐसा कोई वित्तीय बंधन नहीं है जो श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी को जीबीसी सचिव बनने मे बाधा हो

जबकि श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी के जीबीसी सचिव के रूप मे सेवा करने के लिए कौशल और क्षमता पर्याप्त विकसित है

जबकि सुधार के क्षेत्र जीबीसी सचिव की सेवाओं के विरोधी नहीं है

जबकि श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय विश्लेषण और रणनीति पूर्ण रूप से जीबीसी बॉडी की रणनीति योजना के अनुरूप है

जबकि नामांकन समिति के मतदान मे सर्व सम्मत ११ हाँ हुए

जबकि जीबीसी नामांकन समिति द्वारा यह प्रस्तावित है की श्रीमान गोवर्धन दास अधिकारी दक्षिणी अफ्रीका जीबीसी क्षेत्र के जीबीसी सचिव बनें

निर्णय :

श्रीमान गोवर्धन दास (बीसीएआइएस) को दक्षिणी अफ्रीका के आंचलिक कर्तव्यों सहित जीबीसी सदस्य निर्वाचित किया जाता है

८०३.०४: आंचलिक व क्षेत्र कार्य

[शीर्षक] - नए क्षेत्र जीबीसी - २०२०

कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

अच्युतात्मा दास , क्षेत्रीय जीबीसी, रूसी क्षेत्र प्रदेश एक :

बेलारूस

रूस

- आरकानजेस्क क्षेत्र
- बेलगोरोड क्षेत्र
- ब्रीयनस्क क्षेत्र
- छुवाश क्षेत्र
- लवानोवो क्षेत्र
- कालीनइंग्रद क्षेत्र
- कलुगा क्षेत्र
- कारेलिया, रीपब्लिक
- कोमी रीपब्लिक
- कॉस्टरोम क्षेत्र
- कुरस्क क्षेत्र
- लेनइंग्रद क्षेत्र
- लिपेटसक क्षेत्र
- मारी एल रीपब्लिक
- मास्को

मास्को क्षेत्र
मुरमाँसक क्षेत्र
नेनेट्स ऑटानमस जिला
निजहनी नोवोगऑरोड क्षेत्र
नोवोगऑरोड क्षेत्र
ऑरीऑल क्षेत्र
पसकोव क्षेत्र
रीयजन क्षेत्र
सैंत पेटेरसबुर्ग
समोलेंसक क्षेत्र
तंबोव क्षेत्र
ततारस्तन रीपब्लिक
तुला क्षेत्र
तवेर क्षेत्र
वलदमीर क्षेत्र
वॉलोंगड़ा क्षेत्र
वॉरऑनेजह क्षेत्र
यरोसलवी क्षेत्र

चैतन्य चंद्र चरण दास , क्षेत्रीय जीबीसी, रूसी क्षेत्र प्रदेश तीन :

रूस :
अल्ताई क्षेत्र
अल्ताई रीपब्लिक
बाक्षकोरटोस्टन रीपब्लिक (उत्तर)
छेलयाबिंसक क्षेत्र
केमेरोवों क्षेत्र
खाँटी-मानसी जिला
किरोव क्षेत्र
कुरगान क्षेत्र
नोवोसीबीरस्क क्षेत्र
ओमस्क क्षेत्र
पेर्म क्षेत्र
सवर्दलोवस्क क्षेत्र
टॉमस्क क्षेत्र

टयूमें क्षेत्र

उदमूर्त रीपब्लिक

यमलों-नेनेट्स जिला

मधू सेवित दास , क्षेत्र जीबीसी पश्चिमी यूरोप

फ्रांस,
बेल्जियम,
नीदरलैंड,
लक्समबर्ग,
स्पेन,
एंडोरा
पुर्तगाल,
इटली
माल्टा

बद्रीनारायन स्वामी क्षेत्र जीबीसी पश्चिमी उत्तर अमेरिका

एरिज़ोना

कैलिफोर्निया (बेरकेले छोड़कर)

कोलोराडो

हवाई

इडाहो

नेवाडा

नव मेक्सिको

ओरेगॉन

यूटा

वॉशिंगटोन (सियातल छोड़कर)

भक्तिमार्ग स्वामी, क्षेत्र जीबीसी उत्तरीय उत्तर अमेरिका

कनाडा

अलसका

मिनेसोटा

मोन्टाना

उत्तरीय डकोटा

दक्षिण डकोटा

व्योमीनग

८०४.०१ : संन्यास प्रतीक्षा सूची

[शीर्षक] - संन्यास प्रतीक्षा सूची -२०२०

कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

निम्नलिखित संन्यास उम्मीदवार हैं उनके प्रतीक्षा समय के साथ

असीम कृष्ण दास (भारत)	इस वर्ष
सुन्दरलाल दास (मॉरीशस)	इस वर्ष
वेणुधारी दास (मायापुर)	इस वर्ष
राघव पंडित दास (दिल्ली)	इस वर्ष
भक्तिपद दास (हंगरी)	एक वर्ष
एकलव्य दास (भारत, मिडिल ईस्ट, उत्तर अमेरिका)	एक वर्ष
कमललोचन दास (मुम्बई)	एक वर्ष
राधा श्यामसुन्दर दास (वृन्दावन)	एक वर्ष
वनमाली दास (मुम्बई)	दो वर्ष
अधोक्षज दास (रूस)	दो वर्ष
गोपेन्द्र दास (वृन्दावन)	दो वर्ष
संकर्षण निताई दास (मायापुर)	दो वर्ष
विश्ववसु दास (जर्मनी/बाल्टिक/रूस)	दो वर्ष
सव्यसाची दास (जेपीएस)	दो वर्ष
वाल्मीकि दास (सीसीसीडी	दो वर्ष
आत्माराम दास (जीजिएस)	दो वर्ष
सुतपादास (यूके)	दो वर्ष
त्रैलोक्यनाथ दास	तीन वर्ष
गोविन्दानंद दास (पश्चिम बंगाल)	तीन वर्ष
सव्यसाची दास (बीसीएस)	पाँच वर्ष

८०५.०१: मंत्रालयों व स्थायी समितियों की पुनरपुष्टि

[शीर्षक] - मंत्रालयों व स्थायी समितियों की पुनरपुष्टि -२०२०

कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

वर्ष २०२०-२०२१ के लिए मंत्रालयों व स्थायी समितियाँ तथा उनके सदस्यता निम्नलिखित है :

1	कोंग्रेगेशन विकास मंत्रालय	सह मंत्री – जयपताका स्वामी, कौन्तेय दास
2	इस्कॉन विग्रह–पूजा मंत्रालय	मंत्री – नृसिंह कवचदास
3	इस्कॉन युवा मंत्रालय	मंत्री – मनोरम दास
4	पुस्तक वितरण मंत्रालय	मंत्री –विजय दास
5	संचार मंत्रालय	मंत्री –अनुत्तम दास
6	गोरक्षा एवं कृषि मंत्रालय	मंत्री – कलाकान्त दास
7	शिक्षा मंत्रालय	मंत्री – शेषा दास
8	वित्त विकास मंत्रालय	मंत्री – देवकीनन्दन दास
9	स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय	मंत्री – प्रहलादानन्द स्वामी, अन्य सदस्य बीर कृष्ण दास गोस्वामी
10	न्याय मंत्रालय	मंत्री – शेषा दास
11	न्याय मंत्रालय : इस्कॉन विवाद समाधान समिति(IDRC)	न्याय मंत्री – इस्कॉन रिसोल्व के प्रतिनिधि जी.बी.सी. के द्वितीय उपाध्यक्ष और इस्कॉन विवाद समाधान कार्यालय के निर्देशक –
	न्याय मंत्रालय : इस्कॉन विवाद समाधान कार्यालय	– जी.बी.सी. ईसी, नामंकन आवलम्बित
12	पदयात्रा मंत्रालय	मंत्री – लोकनाथ स्वामी
14	सन्यास सेवा मत्रालय	मंत्री – प्रहलादानन्द स्वामी, अन्य सदस्य– भक्ति गोरवाणी गोस्वामी, भक्ति वैभव स्वामी, भक्ति चैतन्य स्वामी, हृदय चैतन्य दास
15	वैष्णवी मंत्रालय	मंत्री –राधा दासी (कैलिफोर्निया)
16	इस्कॉन जनरल काउन्सल	देवकीनंदन दास (एमविजी)
17	जी.बी.सी. नामांकन समिति	सदस्य – भक्ति चैतन्य स्वामी (अध्यक्ष), प्रघोष दास, गोपास भट्ट दास, अनुत्तम दास, बद्रीनारायन स्वामी, रेवती रमन दास, राधा कृष्ण दास, गोरांग दास, अनिरूद्ध दास, देवकी नन्दन दास (एम.वी.जी.), कौन्तेय दास, तपन मिश्रा दास,
18	जी.बी.सी.– संगठनात्मकविकास समिति	गोपाल भट्ट दास एवं कौन्तेय दास (सह–अध्यक्ष)– अनुत्म दास, भक्ति चैतन्य स्वामी, बद्रीनारायन स्वामी, जयपताका स्वामी, प्रघोष दास, रेवती रमनदास, अनिरूद्ध दास, चैतन्य अवतारी दास, देवकी नन्दन दास

		(जूहु) देवकी नन्दनदास (एम.वी.जी.), गौरकृष्ण दास, गौरांग दास, प्राहरणा दासी, शुभानन्दा दास, तपन मिश्रा दास, तीर्थराजदास, व्रज विहारी दास,
19	जीबीसी रणनीति योजना दल	सदस्य : गोपाल भट्ट दास (अध्यक्ष), व्रज विहारी दास, शुभानन्द दास, देव माधव दास, आदि कूर्म दास, कौन्तेय दास
20	जी.बी.सी.– बी.बी.टी. दल	सदस्य– बद्रिनारायण स्वामी (समन्वयक) गोपाल कृष्ण गोस्वामी, मधु सेविता दास, प्रघोष दास, देवामृत स्वामी, भक्तिवैभव स्वामी
21	जी.बी.सी.– वैष्णव कैलेण्डर समिति	सदस्य–भानु स्वामी, गोपालप्रिया दास, सदाशिवनन्दा दास, भक्तारूपा दास (संयोजक)
22	गुरु दक्षिणा समिति	बद्रिनारायण स्वामी (समन्वयक), भक्ति भूषण स्वामी, भानु स्वामी, गुरु प्रसाद स्वामी, निरंजन स्वामी, प्रघोष दास, प्रह्लादनंद स्वामी, रमाई स्वामी
23	गुरू सेवा समिति	सदस्य अनुत्तम दास, प्रहलादानन्द स्वामी (अक्ष्यक्ष), बीरबाहु दास, भक्ति चैतन्य स्वामी, भक्ति मार्ग स्वामी, रमाई स्वामी, अतुल कृष्णदास, (मायापुर)
24	इस्कॉन शिशु रक्षा केन्द्रिय कार्यालय	निर्देशक – कमलेश कृष्ण दास
25	इस्कॉन हरिनाम संकीर्तन मंत्रालय	मंत्री : लोकनाथ स्वामी सदस्य : जनानन्द गोस्वामी, एकलव्य दास
26	इस्कॉन प्रॉपर्टी कार्यालय	सदस्य– वर्तमान जी.बी.सी.–कार्यकारीसमिति, भक्तरूपा दास, देवकीनंदन दास, गोवर्धन दास, तपन मिश्र दास
27	न्याय विकास समिति	प्रहलादनंद स्वामी (अध्यक्ष), चंपकलता दासी (उपाध्यक्ष), देवकीनंदन दास, हँसरूप दास, कमलेश कृष्ण दास, राधादासी, सेश दास,

		प्रहरणा दासी, व्रज विहारी दास
28	शास्त्रीय सलाहकार परिषद	सदस्य–उर्मिला दासी (अध्यक्ष) हरि प्रसाद दास, नारायणी दासी, आदिपुरूष दास, सर्वज्ञ दास, ब्रजवासी दास, सहायक सदस्य –गिरिराज स्वामी, कृष्ण क्षेत्र स्वामी, द्रुतकर्मा दास, राधिका रमन दास, चैतन्य चरण दास, गौरांग दास, गोपीनाथ आचार्य दास, हरिदेव दास, भक्ति विज्ञान गोस्वामी, गोपाल हरी दास, कनाई कृष्ण दास, कृष्ण अभिषेक दास
28	नेतृत्व दुराचार निवारण कार्यालय	अध्यक्ष : चंपकलता दासी
29	जीबीसी कार्यकारी सचिवालय	प्रहरणा दासी, श्रीवास दास, तीर्थराज दास, मथुरेश दास

807.01: लेखा परीक्षक की नियुक्ति
[शीर्षक] - लेखा परीक्षक की नियुक्ति-2020
कार्यवाही का आदेश

निर्णय:
श्री रत्नेश सिंघ चंदेल , रास पारायण दास, भागीदार, कोठारी चंदेल & कंपनी , चार्टड अकाउन्टन्ट , 219/220 कार्यालय नं 2, मुरलीधर अपार्टमेंट्स , केलकर रोड, नारायण पेठ, पुणे 411030 को वर्ष २०२० -२०२१ के लिए लेख परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

८०८.०२: अन्य नियुक्तियाँ
[शीर्षक] - नेतृत्व दुराचार निवारण कार्यालय के निर्देशक की पुनर्नियुक्ति -२०२०
कार्यवाही का आदेश

जबकि चंपकलता देवी दासी को इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व दुराचार निवारण कार्यालय का मार्च २०१८ से फरवरी २०२० तक के दो वर्ष के लिए निर्देशक नियुक्त किया गया था

जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है

निर्णय:

चंपकलता देवी दासी का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है।

८०९.०१: आंचलिक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
[शीर्षक] - आंचलिक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति -२०२०
कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

निम्नलिखित भक्तों को आंचलिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है:

तारकनाथ दास	:	वेल्स और दक्षिणी पश्चिम इंग्लैंड
वृंदा देवी दासी	:	केनडा, अलसका, उत्तर व दक्षिण डकोटा, मिनेसोटा, मोन्टाना, व्योमीनग
श्यामानंद कृष्ण दास	:	पाकिस्तान
व्रज प्राण दास	:	मथुरादेश
जय कृष्ण दास	:	डेलवेर, मेरीलैंड, वाशिंगटन डीसी , पूर्वी पेनसीलवेनिया इलनीऑस, मिसौरी
अनिरुद्ध गोपाल दास	:	कृष्णकथा देश

८१०.०१ : ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर की नियुक्ति
[शीर्षक] - ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर की नियुक्ति-२०२०

कार्यवाही का आदेश

निर्णय :

निम्नलिखित भक्तों को ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है :

असितआराध्य दास	वित्तीय विश्लेषण
श्यामानंद कृष्ण दास	पर्यावरण

८१०.०२ : ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर की नियुक्ति
[शीर्षक] - ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर की पुनर्नियुक्ति-२०२०
कार्यवाही का आदेश

निर्णय :
निम्नलिखित ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर को और एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया जाता है

चैतन्य अवतारी दास	:	इस्कॉन दीक्षित शिष्यों का डेटाबेस/ सीडी
देवकीनंदन दास	:	अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प मास्टर प्लान विकास - श्रीधाम मायापुर और जगन्नाथ पुरी
राधेश्याम दास	:	पश्चिमी देशों मे प्रशिक्षण और भक्त बनाना
वैशेषिका दास	:	एक विश्व ग्रंथ वितरण दल/ ग्रंथ ही आधार हैं प्रशिक्षण

अनुभाग ९०० : वित्तीय एवं कानूनी
९०१: जीबीसी वार्षिक बजट
[शीर्षक] - जीबीसी बजट -२०२०
कार्यवाही का आदेश
निर्णय :

वर्ष २०२०-२१ के लिए जीबीसी बजट(रूपी) निम्नलिखित है :

वार्षिक सामान्य बैठक	**595,500**

कृषि एवं गोरक्षा	350,000
शिशु रक्षा कार्यालय	700,000
दण्डवत्स	427,800
डिपटी सहयोग के लिये भ्रमण	70,000
विग्रह पूजा मंत्रालय	980,000
आपातकालिन वित	280,000
कानूनी एवं सम्बन्धित व्यय	700,000
कार्यकारिणी–समिति भ्रमण व्यय	210,000
वित्तीय एवं बैंक लागत	35,000
जी.बी.सी. सामरिक योजना दल	770,000
जी.बी.सी. संचार सचिव	462,000
जी.बी.सी. इसी सचिव	462,000
जीबीसी कार्यकारी सचिवालय	350,000
जीबीसी 50 वर्षगांठ चलचित्र	210,000
इस्कॉन कोंग्रेगेशनल विकास मंत्रालय	210,000
इस्कॉन मन्दिर डेटाबेस	98,000
इस्कॉन मायापुर नैतिकता मानक और अनुपालन कार्यालय	175,000
इस्कॉन कानून पुस्तक	175,000
इस्कॉन समाचार	308,000
इस्कॉन – रिसोल्व	560,000
इस्कॉन सन्यास मंत्रालय	210,000
इस्कॉनकनेक्शन	140,000
नेताओं के अनुचित व्यवहार प्रतिबन्ध कार्य	350,000
कानूनी समिति	140,000
मायापुर जी.बी.सी. कार्यालय	434,000
शिक्षा मंत्रालय	441,000
सभा (आध्यात्मिक सलाहकार भागवत सभा)	560,000
शास्त्रीय सलाहकार परिषद	280,000
स्वामी प्रोडक्शन्स (भक्तिमार्ग स्वामी)	140,000
वैष्णव कैलेण्डर बेवसाईट	35,000
वैष्णवी मंत्रालय	105,000
यु्वा मंत्रालय	105,000
कुल	11,067,000